

ऑन लाईन नं. RCMS2023/227

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.  
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 78/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अगिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

- श्री ललित वर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज --खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता--  
मै० गुलमर्ग मैंगो बार नोहरा नम्बर 13, रविन्द्रपथ, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।  
अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51


निर्णय

दिनांक : 22.09.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन हैं।

श्रीकंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.05.2023 को बाद दोपहर बाद 04.30 बजे का मै० गुलमर्ग मैंगो बार नोहरा नम्बर 13, रविन्द्रपथ, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता ललित वर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज को अपना परिचय देकर दुकान में डीपफ्रीजर में स्टील कन्टेनर में रखी खाद्य पदार्थ आईसकीम (खुला) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा दुकान में डीपफ्रीजर में स्टील कन्टेनर में रखी लगभग 7 किलो खाद्य पदार्थ आईसकीम (खुला) को आमजन के विक्रय वारते होना बताया। आईसकीम (खुला) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते आईसकीम (खुला) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे ललित वर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म रो 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक ललित वर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

  
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जंगता को विक्रय हेतु उपलब्ध आईसकीम (खुला) 1.2 किलोग्राम साथ सुथरी स्टील ट्रे में विक्रेता से तय कीमत पर खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा आईसकीम (खुला) का नगद गुगतान 300/- रूपये किया तथा कैशमीगो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और गेरे भी हस्ताक्षर हैं। कैशमीगो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ रालंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा आईसकीम (खुला) 1.2 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर साफ सुथरे व सूखे चार डिब्बों में भरकर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक फॉर्मैलिन की 40 बूंदे डालकर ढक्कन को एयरटाईट कर लिया। प्रत्येक बोतल को कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1812 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1812 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जापो में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसो ललित वर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल रालंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./783/Acl/2023/783 Dated 02-06-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1812 Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त ललित वर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज मैसर्स गुलमर्ग मैंगो वार नोहरा नम्बर 13, रविन्द्रपथ, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर आईसकीम (खुला) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

  
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी वैशाली नगर चक 7 ई छोटी श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी गैरार्स गुलमर्ग मैंगो वार नोहरा नम्बर 13, रविन्द्रपथ, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/2743 दिनांक 25.08.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में आईसकीम (खुला)की जांच की गई तो आईसकीम (खुला) Sub-Standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त आईसकीम (खुला) में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।


परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया आईसकीम (खुला) का सैम्पल K-1812 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./295/Act/2022/295 Dated 03-03-2022 द्वारा Sub-Standard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/2743 दिनांक 25.08.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में आईसकीम (खुला) Sub-Standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त आईसकीम (खुला) में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Ice Cream" bearing Code No and Sr. No. K-1812, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

  
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर


अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

AB/4

फलवरूप अभियुक्त ललित वर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त ललित वर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 20,000-00 (अखरे रुपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में ललित वर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अरविन्द कुमार जाखड़)  
न्याय श्री जिला कलक्टर (प्रशासन)  
अतिरिक्त जिला गंगानगर (प्रशासक)  
श्रीगंगानगर।